समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप–जबलपुर

प्रकरण क्रमांक अपील /2016 जिला जबलपुर A-1659-I-16

अपीलार्थी – कमल सिंह गौंड पिता श्री सगई लाल गौंड
उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम चरगवां पोस्ट हरई
रा.नि.मं. बरगी तहसील व
जिला जबलपुर

विरूद्ध

प्रत्यर्थी 1– म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर

अपील अंतर्गत धारा 35(4) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 330/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 14–3–16 से व्यथित होकर

माननीय महोदय,

अपीलार्थी निम्नानुसार निवेदन करता है कि –

1. यहकि, अपीलार्थी की ग्राम तिखारी नं.बं. 232 प.ह.नं. 38, रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर में भूमि खसरानं. 304/1 रकबा 2.40 हैक्टर व खसरा नं. 304/2 रकबा 0.32 कुल रकबा 2.72 हैक्टर स्थित है । उक्त भूमि एक फसली झाड़ पेड़ों से मुक्त खेतों की बीचोंबीच स्थित है । जिसके समस्त भू–राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज है । इसी अधिकार व हैसियत से मुझ अपीलार्थी द्वारा केता श्रीमती सुनीता खरे पति श्री संजय खरे निवासी म.नं. 1068 योजना क्रमांक 5/2 विजय नगर, तहसील व जिला जबलपुर वालों से भूमि के विक्रय का सौदा अनुबंधपत्र के माध्यम से तय करते हुए भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया था ।
2. यहकि, अपीलार्थी द्वारा उक्त अनुबंध के एवज में 1,00,000/– रूपये केता से दिनांक 20.6.14 को प्राप्त कर लिये गये हैं ।
3. यहकि, कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी से जांच प्रतिवेदन बुलाया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण तहसीलदार को जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा जिस पर

A 1659-I/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
27/7/16	आवेदक अधि. श्री नवीन पाठक उप. उन्होंने Not Press में समाप्त करने का अनुरोध किया. उनका निवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण Not-Press. में समाप्त किया जाता है। [signature]	[illegible] Advocate N.K. Pathak